रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –14 ● कानपुर 16 से 31 जुलाई 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

चिकित्सा पद्धति जनोपयोगी – बलूनी

हरिद्वार। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इण्डिया का 30वां स्थानपना दिवस समारोह आर्य नगर, ज्वालापुर स्थित होटल होली बेसिल में सम्पन्न हुआ इस अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी ने समारोह को सम्भोधित करते हुए कहा कि चिकित्सकों का धर्म हर स्थित में रोगियों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ्य बनाना है उनके इस आवाहन पर चिकित्सकों ने समर्पण भाव से सेवा करने का संकल्प लिया, श्रीमती बलूनी ने आगे कहा कि जिस संगठन को मैंने आरम्भिक अवस्था में देखा था वह आज वट वृक्ष बन चुका है, मैं संगठन के सफ़लता की कामना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि इसके संचालक गण पूरे मनोयोग के साथ पूर्व की भांति जनसेवा करते रहेंगे तथा प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचानें में अपना पूर्ण योगदान देंगे।

स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आरम्भ मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला बलूनी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया गया तत्पश्चात सभी अतिथियों को बैज लगाकर तथा बुके देकर सम्मानित किया गया, स्वागत भाषण संगठन के अध्यक्ष एवं समारोह के संयोजक डा0 के0 पी0 एस0 चौहान द्वारा दिया गया, स्वागत के पश्चात सर्वप्रथम देहरादून के विष्णु विश्वास को अवार्ड ऑफ़ एप्रिसिएशन व सभी विशिष्ट अतिथि को अवार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया, समारोह में डा0 एस0 शर्मा ,डा0 सुनील अग्रवाल, डा0 एम0 टी0 अन्सारी, डा0 आफ़ाक अहमद, डा0 बी0 बी0 कुमार, अमरपाल अग्रवाल, विक्रम सिंह चौहान, राकेश कुमार, सन्दीप पाल आदि ने अपनी विशेष भूमिका निभायी,इस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के मीडिया प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी – छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी को उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी सम्मानित करते हुये– छाया गज़ट

समारोह को सम्बोधित करते हुए डा0 के0 पी0 सिंह चौहान ने कहा कि 30 वर्ष पूर्व स्थापना के बाद से एसोसिएशन द्वारा राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के विकास एवं चिकित्सकों के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा हेतु संघर्षशील रहकर जन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य जाँच शिविर, सेमिनार, गोष्ठी व वर्कशाप आदि का आयोजन तथा मैगज़ीन का प्रकाशन किया जा रहा है, विशिष्ट अतिथि डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शिक्षा पूरे देश में सरकार द्वारा मान्य एवं स्वीकृति है, डा0 डी0 के0 पाल ने कहा कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक काउन्सिल बनाने जा रही है जिसकी प्रक्रिया शीघ्र होने जा रही है, डा0 त्रिदीप गुहा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही एडवान्स डिपलोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी संचालित कर रही है, उत्तराखण्ड मूल की यूनाइटेड अरब अमीरात (दुबई) से पधारी डा0 बी0 एल0 अलखानिया ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आइरिस डायग्नोसिस समावेशित होने के कारण यह चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धति से श्रेष्ठ है, डा0 निलेश थावरे ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं का निर्माण वनस्पतियों एवं आसुत विधि से होने के कारण अधिक गुणकारी होती है डा0 प्रतिभा भारत सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां जीर्ण रोगों सहित कैंसर को भी ठीक करने में काम करती है।

जबलपुर मध्यप्रदेश से पधारे डा0 राजेश कुमार वर्मा ने औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर प्रकाश डाला उन्होनें आयोजकों का आवाहन

शेष पेज 2 पर

नोट :– इमा से सम्बंधित कार्यक्रम

देखें पेज 2 , 3 एवं 4 पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं

भविष्य उज्जवल

अन्तर विभागीय समिति की ताजी रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं है और इसका भविष्य उज्जवल है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रोक के सम्बन्ध में पहला परीक्षण इण्डिया टुडे नामक अंग्रेजी पत्रिका के अंक 15 मई, 1983 में प्रकाशित लेख "स्पेशल ट्रीटमेन्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी" से आरम्भ हुआ इसमें महती भूमिका उत्तर प्रदेश के तत्कालीन होम्योपैथी निदेशक डा0 अविनाश चन्द सक्सेना द्वारा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के सहयोग से प्रकाशित अंश से साफ किया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नही लगायी जा सकती है, गज़ट के सम्पादक डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने भी इस लेख में अपनी भूमिका अदा की थी साथ ही बिहार राज्य शासन के सचिव श्री आर0 एस0 सिंह तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेन्टर एण्ड इन्सटीट्यूट न्यु यारपुर, पटना के मानद सचिव डा0 सुदामा प्रसाद सिंह भी सम्मलित थे इसके तत्काल बाद 6 जून, 1984 को पुनः निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा गठित एक समिति के निर्णय के आधार पर यह स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं लगायी जा सकती है इस आशय का पत्र उत्तर प्रदेश शासन के विधि विभाग द्वारा जारी भी किया गया।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्बाध रूप से संचालित होती रही समय समय पर अनावश्यक हस्तक्षेप का सिलसिला भी चलता रहा, हस्तक्षेप का कारण मान्यता न होना कहा जाता रहा जबकि मान्यता से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हांलाकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए स्थानीय शासन एवं प्रशासन की सहमति आवश्यक है मान्यता न होने के कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालक गण, संस्थायें एवं चिकित्सकगण हमेशा यह समझते रहे कि उन्हें सरकार या शासन से कोई सरोकार की आवश्यकता नहीं है बस उनकी यही सोच बार बार उनके विरुद्ध अवरोध खड़े करती रही है जिसका परिणाम यहां यह हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत तक याचिकायें जाने लगीं इसके बाद भी राहत नहीं मिली जबकि 1983 एवं 84 के होम्योपैथी विभाग तथा विधि विभाग की संस्तुतियों से यह साफ हो चुका था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा पर कोई रोक नहीं है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें स्वगठित हैं वह यह समझती हैं कि वह जो चाहें वह कर सकती हैं जबकि ऐसा कदापि नहीं है संस्थायें जो कार्य सम्पादित करती हैं उसके लिए सम्बन्धित प्राधिकारी/विभाग से सहमति/अनुमति होना आवश्यक है इनकी इस कार्यप्रणाली का ही दुष्परिणाम रहा कि समय समय पर अनावश्यक हस्तक्षेप एवं अवैधानिक कार्यवाहियों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सामना करना पड़ा।

एक समय ऐसा भी आया जब पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी शान्त सी हो गयी चारों ओर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी लोग एक दूसरे से बुझे मन से पूछते थे कि अब क्या होगा ? कैसे पैथी चलेगी ! तथा इसके चिकित्सकों का क्या होगा ? विदित हो कि उस समय भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं थी उत्तर प्रदेश की दूसरी पुरानी विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 पूरे दम खम के साथ खड़ी थी और उसके सभी जुझारू कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगे थे जिन्होंने पूरे दम के साथ कहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है और न ही इसपर कभी रोक लगायी जा सकती है। सरकार द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति की बैठकों से जारी निष्कर्ष ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक लगाने का भारत सरकार का कोई भी इरादा नहीं है लेकिन सरकार का कहना यह भी है कि आवश्यक मापदण्ड के पूरे हुए बिना मान्यता नहीं दी जा सकती है रिपोर्ट में अन्य बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है कुछ बिन्दुओं में दिशा भी दी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक नहीं है और इसका भविष्य उज्जवल है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो वह अपने राज्य के अनुरूप नियम बना सकती हैं, संस्थाओ को चाहिये कि वे राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय का सपना छोड़कर अपने मूल राज्य में पूरे मनोयोग से लग जायें।

VALIDITY of Electro Homoeopathy

At present the Modern System of Medicine is regulated through the Indian Medical Council Act 1956 ; The Homoeopathic System of Medicine is regulated through the Homoeopathy Central Council Act 1973 and the fourth Indian Systems of Medicine namely Ayurveda, Siddha , Sowa-Rigpa and Unani are regulated through the Indian Medicine Central Council Act 1970.

Regarding practice, education and research in Electro Homoeopathic System of Medicine Government of India, Ministry of Health & Family welfare had issued an ORDER No R.14015/25/96-U&H(R) (Pt) Dated 25-11-2003 for clarification of this ORDER another ORDER No V.25011/276/2009-HR Dated 05-05-2010 for execution of these ORDERS a further ORDER was issued by the Ministry of Health & Family welfare vide No C.30011/22/210-HR Dated 21-06-2011. Copy of this ORDER has been sent among others, to the Health Secretaries of all the State Governments/ Union Territory Administrations.

Ministry of Health & Family Well fare has also clarified that ORDER N0 R.14015/25/96-U&H(R)(Pt) Dated 25-11-2003 and V.25011/276/2009-HR dated 05-05-2010 would be treated as instructions of the Government of India related to Practice, Education, and Research with regard to Electro Homoeopathy.

As per Ministry of Health & Family welfare Letter No C.30011/9/2013-HR dated December 23rd 2013 the present Stand of the Union Government in the Ministry of Health & Family welfare on the issue of Electro Homoeopathy/Electropathy is governed by the provisions contained in aforesaid ORDERS. However as stated above, Once the proposed legislation to recognise New System of Medicine including Electropathy/ Electro Homoeopathy is enacted, any recognisition, practice or education in those systems would be regulated in accordance with the proposed Act.

It may also be made clear that Ministry of Health & Family welfare has neither setup/recognised /authorised anybody/entity in whatever form to impart education in the Electro Homoeopathy/ Electropathy nor it proposed it to do so till a legislation is put in place.

Finally, Ministry of Health & Family welfare ORDER Dated 21-06-2011 regard to practice, education and research in Electro Homoeopathy is stand of the Central Government as declared in his letter Dated 21 December, 2017.

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा ..... प्रथम पेज से आगे

कया कि यदि वह ओ0 पी0 डी0 के लिए स्थान का प्रबन्ध कर लें तो वह और डा0 निलेश थावरे रु 51000 का प्रबन्ध ओ0 पी0 डी के फर्नीचर आदि के लिए देने को तैयार हैं साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस ओ0 पी0 डी0 में प्रयोग होने वाली सभी औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करावेंगे उन्होंने उपस्थिति चिकित्सकों से आवाहन किया जो स्थानीय जनपद से सम्बन्ध रखते हैं वह रोस्टर बनाकर बारी बारी निःशुल्क योगदान देंगे इससे स्थानीय जनता को जहां स्वास्थ्य लाभ मिलेगा वहीं इनको भी अनुभव प्राप्त होगा परोक्ष रूप से स्थानीय प्रशासन एवं शासन से सम्बन्ध स्थापित होगा। उड़ीसा से पधारे डा0 मनोज कुमार बादी ने कहा कि इससे पहले जो वक्ता बोल चुके है उन्होने जो कुछ बता दिया है अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है उन्होने चिकित्सकों को वैधानिक संरक्षण देने के लिए विधिक क्षेत्र में अपनी पैठ बनायी ही और उसी माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है।

अन्त में संगठन के महासचिव डा0 एस0 शर्मा ने पूणे से पधारी डा0 प्रतिभा सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह चीन जा सकती है आप अपने स्थान से कस्बे और जिले तक ही नहीं पहुच रहे है आपको चाहिये कि आप स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपनी पैठ बनाये तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास सम्भव है।

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के मीडिया प्रभारी डा0 एस0 के0 पाल प्रथम पंक्ति में बायें से दूसरे नम्बर पर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुये– छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी तथा विशिष्ट अतिथि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी दीप जला कर समारोह का शुभारम्भ करते हुये– छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर क्रमशः बायें से दायें , बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 नीलेश थावरे (डायरेक्टर बायोम कार्मा मिलाई – छत्तीस गढ़), डा0 डी0 के0 पाल (चेयरमैन इ0डी0ओ0 नई दिल्ली), डा0 के0 पी0 सिंह चौहान (राष्ट्रीय अध्यक्ष इ0 एम0 इडिया) एवं उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी – छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, को बैज लगा कर सम्मानित करते हुये डा0 एम0 एच0 इदरीसी, के दाहिने ओर विराजमान डा0 त्रिदीप गुहा (चेयरमैन इ0 एम0 पी0 सी0 ऑफ इण्डिया नागपुर महाराष्ट्र) एवं बायें डा0 नीलेश थावरे (डायरेक्टर बायोम कार्मा मिलाई – छत्तीस गढ़), – छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, को बुके देकर सम्मानित करते हुये डा0 के0 पी0 सिंह चौहान (राष्ट्रीय अध्यक्ष इ0 एम0 इडिया) साथ में डा0 डी0 के0 पाल (चेयरमैन इ0डी0ओ0 नई दिल्ली), एवं बायें डा0 श्रीमती प्रतिमा भारत सिंह सचिव ए0 आई0 पी0 ए0 इण्डिया पूणे महाराष्ट– छाया गज़ट

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डैश से अपने विचार साझा करते हुये इनके पीछे डा0 सुनील अग्रवाल एवं मंच पर बायें से दायें क्रमशः डा0 त्रिदीप गुहा,डा0 नीलेश थावरे, डा0 डी0 के पाल, डा0 के0 पी0 सिंह चौहान– समारोह अध्यक्ष एवं डा0 श्रीमती प्रतिमा भारत सिंह – छाया गज़ट

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवे परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इडमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

M.B.E.H. तीन वर्ष – इण्टरमीडियेट जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत, सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पक करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

हरिद्वार उत्तराखण्ड में इमा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथिगण कुर्सी पर क्रमशः बाये से दायें सर्वश्री डा0 त्रिदीप गुहा, डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 निलेश थावरे, डा0 डी0 के0 पाल, डा0 के0 पी0 एस0 चौहान (आयोजक), डा0 श्रीमती प्रतिमा भारत सिंह, डा0 श्रीमती वी0 एल0 अलखानियां, डा0 एस0 शर्मा(महासचिव), डा0 राजेश वर्मा व डा0 एम0 के0 बादी – छाया गज़ट